महानिदेशक, स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय

शिक्षा का अधिकार
सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें
निपुण भारत

समग्र शिक्षा, विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ -226007

वेब-साइट: www.basiceducation.up.gov.in, www.upefa.com **ई-मेल:** upefaspo@gmail.com **दूरभाष:** 0522-4024440, 2780384, 2781128

प्रेषक,

राज्य परियोजना निदेशक,
समग्र शिक्षा,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
समस्त जनपद, उ0प्र0।

पत्रांकः सामु0सह0–SMC-SDP/ 11512 /2022–23 लखनऊः दिनांकः 16 फरवरी, 2023

विषयः–प्रदेश के समस्त परिषदीय विद्यालयों में "विद्यालय विकास योजना" के निर्माण के सम्बन्ध में।

महोदय,

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एवं उ0प्र0 निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के अन्तर्गत विद्यालय प्रबन्ध समिति के सदस्यों एवं शिक्षकों को अधिकार है कि वह अपने संयुक्त प्रयास से विद्यालय के लिये एक सशक्त व प्रभावशाली विद्यालय विकास योजना का निर्माण करें।

निपुण भारत मिशन के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समुदाय, माता/पिता/अभिभावकों तथा अन्य हितधारकों को समग्र शिक्षा एवं बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रमों व योजनाओं से जोड़ने एवं क्रियान्वयन में समुदाय व अभिभावकों की सहभागिता (Community & Parental Engagement) की परिकल्पना को मूर्त देने हेतु विद्यालय विकास योजना (SDP) एक महत्वपूर्ण अभिलेख है। विद्यालय के सर्वांगीण विकास हेतु एस0डी0पी0 एक मार्गदर्शिका भी है, जो योजनाओं व कार्यक्रमों के क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण का अवसर प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त एस0डी0पी0 विद्यालय के विकास के लिये शिक्षकों व विद्यालय प्रबन्ध समिति के सदस्यों को कार्य करने हेतु आधार व मार्गदर्शन प्रदान करती है। विद्यालय द्वारा बच्चों, माता/पिता/अभिभावकों, समुदाय, अपवंचितों व समाज के सभी वर्गों एवं अन्य हितधारकों के साथ बच्चों की शिक्षा, विद्यालय विकास, सुविधाओं तथा योजनाओं व कार्यक्रमों के क्रियान्वयन आदि विषयों पर चर्चा/परिचर्चा कर प्राप्त सुझावों को विद्यालय विकास योजनाओं में प्राथमिकता के आधार पर समाहित कर तैयार की जाती है।

Note: This document is only for the knowledge and bonafide use of the Department of Basic Education, UP Government. Any sharing, publication or reproduction of this document in print or digital form or communication of its contents in any other form by any unconcerned person, body, institute or third party without prior information and approval of the competent authority will be illegal & void ab initio and appropriate action shall be taken against him in accordance with relevant rules & regulations.

तत्क्रम में समस्त परिषदीय विद्यालय तीन वर्ष क्रमशः 2023–24, 2024–25 एवं 2025–26 की विद्यालय विकास योजना का निर्माण करें एवं प्रत्येक वर्ष समीक्षा के आधार पर प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए अद्यतन करें।

विद्यालय विकास योजना निर्मित करने की प्रक्रिया–

प्रदेश के समस्त परिषदीय विद्यालयों में विद्यालय विकास योजना को निर्मित करने हेतु विभिन्न स्तरों के लिये निम्नवत् दायित्व व प्रक्रिया निर्धारित की गयी है।

- राज्य स्तर से विद्यालय विकास योजना का **प्रारूप ई–मेल** के माध्यम से **(सॉफ्ट कॉपी)** जनपदों को प्रेषित किया गया है।
- राज्य स्तर से विद्यालय विकास योजना के प्रारूप के डिजिटल कॉपी प्रेरणा पोर्टल पर डाटा एण्ट्री हेतु अपलोड कर दी गयी है।
- खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यलय का दायित्व होगा कि विद्यालय विकास योजना के प्रारूप हेतु निर्गत धनराशि के लिमिट के प्राप्त होने के 03 कार्यदिवस के भीतर अथवा **दिनांक 25 फरवरी 2023** तक प्रारूप की फोटो कॉपी/मुद्रित कराकर प्रधानध्यापक को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।
- जिला समन्वयक, सामुदायिक सहभागिता का दायित्व होगा कि वह जनपद के समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारियों के साथ बैठक कर विद्यालय विकास योजना के प्रारूप व निर्माण प्रक्रिया पर क्षमता संवर्धन कराना सुनिश्चित करें।
- खण्ड शिक्षा अधिकारी का दायित्व होगा कि वह समस्त प्रधानाध्यापक की बैठक कर विद्यालय विकास योजना के प्रारूप व निर्माण प्रक्रिया पर क्षमता संवर्धन करना सुनिश्चित करें।
- विद्यालय प्रबन्ध समिति के सदस्यों एवं शिक्षकों द्वारा विद्यालय विकास योजना निर्मित की जायेगी। इस कार्य हेतु जिला समन्वयक, सामुदायिक सहभागिता एवं खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा विद्यालयों को सहयोग प्रदान किया जायेगा।
- प्रधानाध्यापक की जिम्मेदारी होंगी कि एस0डी0पी0 के नियमानुसार निर्माण हेतु एस0एम0सी0 सदस्यों के साथ बैठक आहूत करें एवं प्रारूप के बिन्दुओं पर विस्तृत चर्चा करें तथा प्रत्येक सूचक विकल्पों पर एकमत होकर सही (✔) का निशान लगायें।
- प्रधानाध्यापक निर्मित विद्यालय विकास योजना को खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय को **दिनांक 10 मार्च, 2023** तक उपलब्ध करायेंगे तथा खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा समीक्षा के उपरान्त एस0डी0पी0 का अनुमोदन किया जायेगा।
- खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा अनुमोदित एस0डी0पी0 की डाटा एण्ट्री प्रेरणा पोर्टल पर ब्लॉक स्तर से **दिनांक 20 मार्च, 2023** तक सुनिश्चित की जायेगी।
- डाटा एण्ट्री के उपरान्त विद्यालय विकास योजना की डिजिटल कॉपी का 02 प्रतियों में प्रिंट ऑउट लेकर दोनों प्रतियाँ विद्यालयवार प्रधानाध्यापक को वितरित करने की जिम्मेदारी खण्ड शिक्षा अधिकारी की होगी।

- दोनों प्रतियों पर विद्यालय प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं सचिव के हस्ताक्षर कराने की जिम्मेदारी प्रधानाध्यापक की होगी।
- विद्यालय विकास योजना की हस्ताक्षरित प्रति स्थानीय प्राधिकारी (प्रधान) को ग्राम पंचायत विकास योजना में सम्मिलित करने हेतु उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी प्रधानाध्यापक की होगी तथा दूसरी हस्ताक्षरित प्रति विद्यालय के रिकार्ड में सुरक्षित रखी जायेगी।
- विद्यालय प्रबन्ध समिति के सदस्यों द्वारा विद्यालय विकास योजना में दिये गये कार्यों की समीक्षा विद्यालय प्रबन्ध समिति की बैठकों में की जायेगी।

विद्यालय विकास योजना प्रारूप की विशिष्टियाँ एवं वित्तीय प्रावधान–

- विद्यालय विकास योजना प्रारूप कुल 11 पृष्ठों का है।
- एस0डी0पी0 प्रारूप के कुल 11 पृष्ठों की फोटो कॉपी/मुद्रण हेतु प्रति पृष्ठ धनराशि रू0 01/– (रू0 एक मात्र) की दर से **कुल धनराशि रू0 11/–** (रू0 ग्यारह मात्र) अनुमन्य है।
- प्रारूप की फोटो कॉपी/मुद्रण की साइज 11.69" इंच लम्बाई एवं 8.27" इंच चौड़ाई (A4 साइज़) एवं 85 GSM पेपर का उपयोग किया जायेगा।
- खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा एस0डी0पी0 की डिजिटल कॉपी के कुल 11 पृष्ठों की 02 प्रतियाँ अर्थात् कुल 22 पृष्ठों की कम्प्यूटर से प्रिंट आउट लेने हेतु कार्टरेज रिफिलिंग के लिए प्रति विद्यालय **कुल धनराशि रू0 11/–** (रू0 ग्यारह मात्र) की दर से अनुमन्य है।
- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का दायित्व है कि विद्यालय विकास योजना के प्रारूप की फोटो कॉपी/मुद्रण एवं प्रिंट ऑउट के लिये राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा निर्गत धनराशि की लिमिट को खण्ड शिक्षा अधिकारी के बैंक खातों में तीन कार्यदिवसों के भीतर लिमिट जारी कराना सुनिश्चित करें।

विद्यालय विकास योजना के फोटो कॉपी/मुद्रण एवं प्रिंट ऑउट हेतु जनपदवार धनराशि सीमा का निर्धारण–

क्रम सं0	जनपद का नाम	ब्लॉकों की संख्या	विद्यालयों की संख्या	एस0डी0पी0 की 01 प्रति फोटो कॉपी/मुद्रण एवं 02 प्रति प्रिंटऑउट हेतु प्रति विद्यालय धनराशि रू0 22/– की दर से ब्लॉकों हेतु सीमा निर्धारण	जनपदों को कुल निर्गत सीमा का योग
1	2	3	4	5	7
1	Agra	16	2508	55176	55176
2	Aligarh	13	2128	46816	46816
3	Allahabad	21	2874	63228	63228
4	Ambedkar Nagar	10	1590	34980	34980
5	Amethi - CSM Nagar	13	1585	34870	34870
6	Auraiya	8	1266	27852	27852

7	Azamgarh	23	2723	59906	59906
8	Baghpat	6	532	11704	11704
9	Bahraich	15	2818	61996	61996
10	Ballia	18	2266	49852	49852
11	Balrampur	10	1823	40106	40106
12	Banda	9	1754	38588	38588
13	Barabanki	16	2651	58322	58322
14	Bareilly	16	2500	55000	55000
15	Basti	15	2089	45958	45958
16	Bhadoi	7	897	19734	19734
17	Bijnor	12	2133	46926	46926
18	Budaun	16	2173	47806	47806
19	Bulandshahr	16	1874	41228	41228
20	Chandauli	9	1194	26268	26268
21	Chitrakoot	5	1260	27720	27720
22	Deoria	17	2134	46948	46948
23	Etah	9	1699	37378	37378
24	Etawah	9	1489	32758	32758
25	Faizabad	12	1800	39600	39600
26	Farrukhabad	8	1580	34760	34760
27	Fatehpur	14	2141	47102	47102
28	Firozabad	10	1865	41030	41030
29	Gautam Buddha Nagar	4	515	11330	11330
30	Ghaziabad	5	455	10010	10010
31	Ghazipur	17	2283	50226	50226
32	Gonda	17	2629	57838	57838
33	Gorakhpur	21	2524	55528	55528
34	Hamirpur	7	975	21450	21450
35	Hapur (Panchsheel Nagar)	4	507	11154	11154
36	Hardoi	20	3465	76230	76230
37	Hathras	8	1245	27390	27390
38	Jalaun	10	1518	33396	33396
39	Jaunpur	22	2830	62260	62260
40	Jhansi	9	1461	32142	32142
41	J P Nagar (Amroha)	7	1275	28050	28050
42	Kannauj	9	1464	32208	32208
43	Kanpur Dehat	10	1926	42372	42372
44	Kanpur Nagar	11	1787	39314	39314
45	Kanshiram Nagar	7	1271	27962	27962
46	Kaushambi	8	1097	24134	24134
47	Kheri	16	3122	68684	68684
48	Kushinagar	14	2478	54516	54516
49	Lalitpur	7	1360	29920	29920
50	Lucknow	10	1626	35772	35772
51	Maharajganj	13	1709	37598	37598
52	Mahoba	5	853	18766	18766

53	Mainpuri	10	1912	42064	42064
54	Mathura	11	1549	34078	34078
55	Mau	10	1219	26818	26818
56	Meerut	14	1081	23782	23782
57	Mirzapur	13	1816	39952	39952
58	Moradabad	9	1417	31174	31174
59	Muzaffarnagar	10	959	21098	21098
60	Pilibhit	8	1512	33264	33264
61	Pratapgarh	18	2390	52580	52580
62	Rae Bareli	19	2316	50952	50952
63	Rampur	7	1607	35354	35354
64	Saharanpur	12	1447	31834	31834
65	Sambhal (Bhim Nagar)	8	1303	28666	28666
66	Sant Kabir Nagar	9	1254	27588	27588
67	Shahjahanpur	16	2737	60214	60214
68	Shamli (Prabudh Nagar)	5	600	13200	13200
69	Shrawasti	5	989	21758	21758
70	Siddharthnagar	14	2275	50050	50050
71	Sitapur	20	3535	77770	77770
72	Sonbhadra	8	2070	45540	45540
73	Sultanpur	15	2081	45782	45782
74	Unnao	17	2722	59884	59884
75	Varanasi	9	1149	25278	25278
	योग	**881**	**133661**	**2940542**	**2940542**

उक्तानुसार विद्यालय विकास योजना प्रारूप के फोटोकॉपी/मुद्रण एवं प्रिंट आउट हेतु खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय को कुल धनराशि **रु 2940542/–**(उन्तीस लाख चालीस हजार पांच सौ बयालिस मात्र) की व्यय सीमा की लिमिट निर्धारित है। उक्त निर्धारित धनराशि सीमा का व्यय समग्र शिक्षा के मैनुअल एण्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट एण्ड प्रोक्योरमेंट 2018 के प्रावधानों के अनुसार सम्पादित कराना सुनिश्चित करें। व्यय की गयी धनराशि को प्रबन्ध पोर्टल के **SMC Training** मद के अन्तर्गत अंकित करते हुए उपभोग प्रमाण–पत्र **दिनांक 01 मार्च, 2023** तक राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

उक्त के आलोक में निर्देशित किया जाता है कि एस0डी0पी0 निर्माण की समस्त प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए **दिनांक 25 मार्च, 2023** तक जनपद के समस्त विद्यालयों में विद्यालय विकास योजना पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः एस0डी0पी0 का प्रारूप।

भवदीय,

(विजय किरन आनन्द)
राज्य परियोजना निदेशक

पृष्ठांकन संख्याः सामु0सह0–SMC-SDP/ /2022–23 लखनऊ, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा, शिक्षा अनुभाग–5, उ0प्र0 शासन।
2. शिक्षा निदेशक, बेसिक, उ0प्र0।
3. जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष, जिला शिक्षा परियोजना समिति, समस्त जनपद उ0प्र0।
4. मुख्य विकास अधिकारी, समस्त जनपद, उ0प्र0।
5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, समस्त जनपद, उ0प्र0।
6. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), समस्त मण्डल, उ0प्र0।
7. शिक्षा विशेषज्ञ, यूनीसेफ, उ0प्र0, लखनऊ।
8. सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी, समग्र शिक्षा, समस्त जनपद, उ0प्र0।
9. जिला समन्वयक, सामुदायिक सहभागिता, समग्र शिक्षा, समस्त जनपद, उ0प्र0।
10. खण्ड शिक्षा अधिकारी, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

(विजय किरन आनन्द)
राज्य परियोजना निदेशक